(83)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1516–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2015 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल ईंटखेडी 1 तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 45/अ–12/14–15.

रामनारायण साहू आत्मज हरिप्रसाद साहू
कृषक ग्राम परेवाखेडा
तहसील हुजूर भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

सीताराम आत्मज हीरालाल
निवासी ग्राम बडवाई
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम.एल. रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल ईंटखेडी 1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम परेवाखेडा स्थित भूमि खसरा कमांक 329, 330, 346, 347, 348 एवं 349 रकबा 1.430, 0.200, 0.220, 0.960, 0.370 एवं 1.280 हेक्टेयर का सीमांकन राजस्व निरीक्षक मण्डल ईंटखेडी 1 तहसील हुजूर जिला भोपाल ने प्रकरण कमांक 45/अ–12/2014–15 दिनांक 11–5–2015 द्वारा किया गया, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक सहित दो अन्य व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आदेश पत्रिका दिनांक 5–5–15 में प्रकरण दर्ज करने का उल्लेख किया गया है, किन्तु बिना प्रकरण दर्ज किये ही सीमांकन किया गया है, जबकि पूर्व आदेश पत्रिका का पालन किया आज्ञापक नियम है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञापक नियम का पालन नहीं किया गया है ।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10–5–15 को सीमांकन की कार्यवाही के पूर्व संहिता की धारा 129 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, जबकि आवेदक पड़ोसी कृषक होने से उसे व्यक्तिशः सूचना देना चाहिए थी, किन्तु आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है, जिसकी पुष्टि सूचना पत्र, पंचनामा एवं प्रतिवेदन से होती है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल पर कोई सीमांकन नहीं कर कार्यालय में बैठकर सीमांकन दस्तावेज तैयार किया गया है । यदि मौके पर सीमांकन किया गया होता, तब पंचनामा एवं प्रतिवेदन में किस चांदा का उपयोग कर नपती की गई, इसका हवाला होता ।

(4) यदि अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब राजस्व निरीक्षक को विधिवत प्रकरण दर्ज करना चाहिए था लेकिन उनके द्वारा बिना प्रकरण दर्ज किये दिनांक 10–5–15 को सीमांकन किये जाने के दस्तावेज प्रस्तावित किये, जिसकी पुष्टि आदेश पत्रिका दिनांक 11–5–15 से होती है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रकरण दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार को आपत्ति प्रस्तुत करने से वंचित किया गया है, जो सीमांकन प्रकिया में एक गम्भीर अवैधानिकता है ।

(5) अनावेदक को अवैध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनमाना एवं पक्षपातपूर्ण सीमांकन किया गया है, ऐसी सीमांकन कार्यवाही स्वेच्छाचारी है ।

(6) टोटल मशीन का प्रतिवेदन में हवाला दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 में टोटल मशीन में नपती करने का कोई प्रावधान नहीं है । यदि टोटल मशीन से भी नपती की गई थी, तब भी पैमाना का उपयोग किया जाना आज्ञापक है, केवल सरहदी पर से किया गया सीमांकन अवैध है ।

तर्कों के समर्थन में 1988 आर.एन. 105 एवं 2006 आर.एन. 118 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक सहित सभी पड़ोसी कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी गई है एवं उपस्थित पंचों के समक्ष विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर भी हैं । यह भी कहा गया कि सीमांकन में अनावेदक की भूमि पर आवेदक एवं दो अन्य व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया है और अनावेदक की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो प्रचलन योग्य नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन कार्यवाही के संबंध में आवेदक सहित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी किया गया है । सूचना पत्र पर तामील स्वरूप आवेदक के हस्ताक्षर भी हैं, अतः यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना नहीं दी गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का विधिवत पालन करते हुए सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । आवेदक द्वारा उठाये गये आधार, निराधार होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । उपरोक्त स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल ईंटखेडी 1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर